संख्या–154 /38–6–21–165एलसी/2020टीसी–III

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक– 04 मार्च, 2021

विषयः–बी0सी0–सखी के रूप में शार्टलिस्टेड /चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं सहायता समूह का अनिवार्य रूप से सदस्य बनाये जाने के संबंध मै।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि बी0सी0–सखी के रूप में शार्टलिस्टेड /चयनित अभ्यर्थियों में कतिपय बी0सी0–सखी ऐसी भी है, जो कि किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में एक–एक बी0सी0–सखी के चयनित किये जाने के निर्णय के अनुक्रम में इनके प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक/नोडल एजेन्सी आरसेटी है जो कि एन0ए0आर0 (नेशनल एकेडमी आफ रूडसेटी) के दिशा–निर्देश में प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन का कार्य करती है। एन0ए0आर0 द्वारा प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन का व्यय केवल उन्हीं शार्टलिस्टेड /चयनित बी0सी0–सखी के लिये किया जायेगा जो कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0सी0–सखी के रूप में चयनित ऐसी अभ्यर्थियों, जो वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नही हैं, को अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाये। यह कार्यवाही प्रदेश के जनपदों में तैनात उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के माध्यम से तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह )
अपर मुख्य सचिव

सं0–154 (1)/38–6–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या–जे–12036/02/2016– आरएएल (348452) दिनांक 01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0/मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त उपायुक्त (स्वतः रोजगार), उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Mana 4.3.21

(मनोज कुमार सिंह )
अपर मुख्य सचिव

goc12021110